दिया जाकर पत्रावली दिनांक 08.02.18
को पेश हो

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

8.2.18 वादीगण के वकील उपस्थित प्रतिवादीगण 4,9 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी पेश नहीं किये। वकील वादी के विशेष आग्रह पर अन्तिम अवसर दिया जाता आगे कोई अवसर देय नहीं होगा। वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण तारीख 26-3-18 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

26.3.18 वादीगण के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सम्बन्धित अवसर देने के उपरान्त भी वादीगण ने पेश नहीं की जो O9 R5 CPC. के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः वादीगण का वाद O9 R5 CPC के प्रावधानों के तहत अदम तामील में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियम से कार्य होकर पश्चात अभिलेख हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner